

## विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 183/2026

|                                                                           |                          |                                                                              |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 में सम्मिलित होने | (ii) <b>विषय समूह :-</b> | (ii) राज्य के विद्यालयों में Multi Media & Web Technology विषय की पढ़ाई नहीं | (ii) <b>पंजीकरण-</b> प्रथम बार में Registration Page खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

पेपर-1 (माध्यमिक)

(ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अख्यान प्रशिक्षण। परन्तु— भारतीय पुनर्वासि परिवर्तन के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अख्यान प्रशिक्षण प्रशिक्षण नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ प्रशिक्षण रखा जायेगा कि संश्लेषित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणार्थी के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणार्थी प्रयास होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणार्थी को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सदैवनिष्ठ अकाश्या मान्य होगा।

विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के समक्ष ये विवाद का निर्णय किया जाएगा।

परीशिष्ट-2  
पेपर-II (उच्च माध्यमिक)

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। |
|--|--------------------------------------------------------------|

स्पष्टीकरण:-



(ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्य) एवं लेक्चररी नियमावली (अद्यतन संस्करण) २००९ का निर्धारण

विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा (i) अधि० सं.-916 दिनांक 19.05.202

अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देय नहीं होगी।

7. **उत्तीर्णांक :** विभागीय पत्रांक-09/STET-17-02/2026-1239, दिनांक 11.02.2026 के आदेश पर प्रकाशित विभाग आदेश परीक्षा 2026 के विहित केंद्र